राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4199/2025

विकास जोशी

–अपीलार्थी

बनाम

अति मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 19.09.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलाथी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में अति जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी ने अपनी सेवा के दौरान हमेशा अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों कि पालना की एवं कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प30(107) शिक्षा–2/2025–33065 दिनांक 2–8–2025 की पालना में राजस्थान शिक्षा सेवा में प्राचार्य उच्च मा० विद्यालय एवं समकक्ष पद के निम्नांकित अधिकारियों के स्थानान्तरण पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये गए, जिनमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 3–8–2025 के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मु० माध्यमिक शिक्षा भीलवाडा से प्रधानाचार्य समकक्ष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालमगढ 217808 प्रतापगढ जिला प्रतापगढ में करीब 300 किमी दूर कर दिया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में दिनांक 4–8–2025 को कार्यमुक्त कर दिया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की पत्नी श्रीमति मधुबाला जोशी जो कि तृतीय श्रेणी की अध्यापिका है जो कि वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय आर सी व्यास कालोनी भीलवाडा जिला भीलवाडा में पदस्थापित है उनका पदस्थापन विवरण प्रप. 10 में अंकित है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी की पत्नी स्त्री रोग से गंभीर बीमारी से पीडित है जिसका यूटर्स का बडा ओपरेशन हुआ है जिसका उपचार फोर्टीज में चल रहा है। (अनुलग्नक–4) वर्तमान में भीलवाडा जिले में करीब 170 पद रिक्त है यदि अपीलार्थी का स्थानान्तरण करना था तो इतने रिक्त पद

में किसी पर किया जा सकता है। (अनुलग्नक–5) वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अति आवश्यक होने पर ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार की अनुमति लेकर ही स्थानान्तरण किया जा सकता था। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। ना ही प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दी गई। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश में जैसा अंकित है उक्त आदेशों में ना तो यात्रा भत्ता दिया ना ही योगकाल ही दिया गया जो कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के निमय 17(1)4 की अवहेलना है तथा योगकाल राजस्थान सेवा नियम 1981 की अवहेलना है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण निरस्त करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिया तथा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को मेल किया परन्तु आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय डा० एस० के० नोसाद रहमान बनाम भारी संद्य के निर्णय के पेरा संख्या 51 में अंकित है कि किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण करने से पूर्व उसकी पारिवारिक परिस्थिति देखी जानी चाहिये राज्य को अपने कार्मिक की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 3–8–2025 (अनुलग्नक–1) को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.08.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। आलौच्य आदेश में हम नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। प्रशासनिक निर्णय/आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परेशानियों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सदैव स्वतंत्र है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय होगा।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य